कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1037 /12-1 :दिनांकः 30 नवम्बर, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद–अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सुनियाकोट कोटुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.628 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में। **(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/53059/2020).**

सन्दर्भ :–भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/52/2022/एफ0सी0/538 दिनांक 20.07.2023।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 20.07.2023 के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 1140/12–1(2) दिनांक 26.10.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा 02 बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना/विस्तृत आख्या प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है:–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point 2 of this office EDS, though the revised enumeration of 23 trees has been found submitted as an additional document in online Part I but the Details are not found corrected at para 4 in online Part II. the State Government is repuested to correct the enumeration in online Para-4, Part II.	प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि में 19 पेड़ प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी प्रति Part-II के Para(II) में अपलोड़ की गयी है।
2	It is seen that village 'Suniyakot' and 'Kotuli' could individually be connected directly with the starting point. Hence it is not clarified as to why the road is proposed from village 'Kotuli' to Suniyakot. State Government is requested to submit the detailed comments is this regard.	वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सुनियाकोट एवं कोटली के ग्रामवासियों को मोटर मार्ग से संयोजित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा यह स्वीकृति जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में न्यनतम वन भूमि एवं न्यूनतम वृक्षों के पातन को देखते हुए स्थानीय ग्रामवासियों को सुविधा एवं तकनीकी दृष्टिकोण के अनुरूप यह संरेखण निर्धारित किया गया है, जिसमें 2.628 है0 वन भूमि में चीड़ प्रजाति के 19 वृक्ष एवं नाप भूमि में 4 वृक्ष, कुल 23 वृक्षों के पातन की आवश्यकता होगी। ग्राम सुनियाकोट एवं कोटली को पृथक–पृथक मोटर मार्ग से संयोजित करने की प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगेगा। (संलग्नक–01)

अतः अनुरोध है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वन संरक्षक के माध्यम से प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या :– 1637 / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को उनके पत्रांक 1140 / 12–1(2) दिनांक 26–10–2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।